आम आदमी बीमा योजना के लाभ

ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी बीमा योजना (भूमिहीन खेतिहर) के लिए शासन द्वारा उक्त योजना वर्ष 2010 से लागू की गई है जिसका वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार व केन्द्र सरकार 50–50 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष से किया जाता है। जिला स्तर पर योजना के नोडल अधिकारी अपरजिलाधिकारी (प्रशासन) व तहसील स्तर पर तहसीलदार नोडल अधिकारी नियुक्त है। ग्राम पंचायत स्तर पर संचालन हेतु लेखपाल का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। यह योजना 18 से 59 बर्ष तक के आयु वाले ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन परिवार के मुखिया सदस्य को सम्मिलित किया जाता है। जिसमें चार प्रकार के लाभ देय है, जो निम्नवत है:–

1–छात्रवृत्ति–इस योजना के अन्तर्गत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिये मुफ्त छात्रवृत्ति का लाभ उपलब्ध है,जिसमें कक्षा–9 से कक्षा–12 तक अध्ययनरत अधिकतम दो वच्चों को 100 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी, यह छात्रवृत्ति वर्ष में 01 जुलाई तथा 01 जनवरी को देय होगी।

2–आम आदमी बीमा धारक की सामान्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर 30.000 रूपये की सहायता दी जायेगी जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

3–आम आदमी बीमा धारक की दुर्घटना द्वारा मृत्यु हो जाने पर 75000.00 रूपये की सहायता दी जायेगी, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, मृत्यु प्रमाणपत्र, एफ0आर0 की नकल होना अनिवार्य है।

4–अपंगता हित–लाभ का दावा करने के लिये दुर्घटना का प्रमाणपत्र तथा सरकारी सिविल सर्जन/सरकारी हडडी रोग विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल प्रमाणपत्र जिसमें दुर्घटना के कारण हुई बीमित व्यक्ति के हाथ/पैर की हानि का सम्पूर्ण/आंशिक अपंगता का विवरण होना चाहिये, जिसमें 37500 रूपये एवं पूर्ण रूप से अपंगता होने पर 75000.00 की सहायता दी जायेगी।